न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 20/2019

शीर्षक

1. बीरबल पुत्र गणपत
2. लीलाराम पुत्र गणपत
3. श्रीमती फूली पत्नी गणपत

समस्त व्यस्क जाति अहिर निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. दूलीचन्द पुत्र भैरू
2. मांगी देवी पत्नी सूरज मल
3. रामसरण पुत्र सूरजमल
4. सुभाष पुत्र सूरजमल
5. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा

समस्त व्यस्क जाति अहीर निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/9/22

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.23 है, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.23 है0 व खसरा नम्बर 506 रकबा 0.22 है0 कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 1.05 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या–1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा है।
वादपत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयान का कानूनी बटवारा नही हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर व अदल बदल कर कब्जा काश्त करते हुये आ रहे है।
वादीगण प्रतिवादीगण को कई मर्तबा अपनी उपरोक्त आराजीयात को बटवारा करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे है तथा कहा कि हम अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा कोई हिस्सेदार भूमि का बेचान नही कर रहा है। यदि भविष्य में कोई हिस्सेदार बेचान करने की स्थिति में बेचान करने से पूर्व आपस में उक्त भूमि का कानूनी बटवारा कराकर ही किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करेगा। इस प्रकार प्रतिवादी यह कहकर कानूनी बटवारे के लिये टालते रहे है।
आज से सप्ताहभर पूर्व वादीगण अपने हिस्से में काश्त कर रहा था कि प्रतिवादीगण कुछ दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आराजीयात पर आये तथा हाथों से इशारा कर भूमि को दिखा रहा था तथा भूमि बेचान की बात कर रहा था इस पर वादीगण ने उन्हे टोका तथा कहा कि आप अपने आपसी कानूनी बटवारा कराये अन्य व्यक्ति को भूमि का बेचान नही कर सकते। परन्तु प्रतिवादीगण भडक गये और वादीगण से लडाई झगडा करने लगे और धमकी दी कि उक्त आराजी को हम दीगर व्यक्ति को बेचान करेगें और अच्छी से अच्छी भूमि पर कब्जा करवायेगे तथा कानूनी बटवारा नही करवायेगे। इसलिए उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ।
अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.23 है, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.23 है0 व खसरा नम्बर 506 रकबा 0.22 है0 कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 1.05 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है, का बटवारा कर वादीगण के हिस्से में आई भूमि को राजस्व रिकार्ड में अलग से वादीगण के नाम अमलदरामद करवाई जावे और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वकील प्रतिवादीगण उपस्थित आये व जवाब दावा पेश किया। दिनांक 29.09.2019 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात मंगवाये गये। दिनांक 23.12.2019 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात प्राप्त हुये बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी द्वारा आपत्ति पेश की गई वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना आपत्ति कुर्रेजात का जवाब पेश नही कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। आपत्ति कुर्रेजात पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण में उप तहसीलदार अमरसर से पुनः बटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। दिनांक 09.03.2022 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट मया कुर्रेजात प्राप्त हुये। वकील वादी ने बटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की। वकील प्रतिवादी आपत्ति बटवारा रिपोर्ट का जवाब पेश नही कर सीधे बहस हेतु

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि. जयपुर) राज.

निवेदन किया। वकील वादी द्वारा आपत्ति कुर्रेजात के संबंध में निवेदन किया कि बंटवारा रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा तैयार नही की गई है। हमे कोई नोटिस जारी नही किये गये है। बटवारा रिपोर्ट कब्जे काश्त के विपरीत तैयार की गई है। अतः बटवारा रिपोर्ट निरस्त कर पुनः बटवारा रिपोर्ट मंगवाई जाये। वकील प्रतिवादी द्वारा आपत्ति बटवारा रिपोर्ट के संबंध में निवेदन किया कि बटवारा रिपोर्ट सही तैयार की गई है। पूर्व में भी वादी द्वारा बटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई थी जिसमें वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः बटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई है। वादी द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर के संबंध में स्थगन आदेश ले रखा है वादीगण प्रकरण को मात्र विलम्ब करने की गरज से बार–बार प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा रिपोर्ट पेश कर रहे है। वादीगण प्रकरण को निस्तारण नही करना चाहते है। बटवारा रिपोर्ट मौके अनुसार व राजस्व बोर्ड के नियमानुसार तैयार की गई है। वादी का प्रार्थना पत्र आपत्ति बटवारा रिपोर्ट खारिज कर बटवारा रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम डिक्री किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट मे वादीगण व प्रतिवादीगण दोनो पक्षो को रास्ते से लगती हुई भूमि दी गई है पूर्व में भी वादीगण द्वारा बटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई थी जिसे स्वीकार कर पुनः बटवारा रिपोर्ट मंगवाई गई। पुनः बटवारा रिपोर्ट में भी वादीगण द्वारा पुनः आपत्ति पेश की गई है जिससे जाहिर होता है वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरी करने की गरज से पेश किया गया है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट मय कुर्रेजात सही पेश किये गये है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.23 है, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.23 है0 व खसरा नम्बर 506 रकबा 0.22 है0 कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 1.05 है0 वाकै ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

दूलीचन्द पि0 भैरू जाति अहीर सा.देह के बटवारे मे आराजी खसरा नम्बर 504/1 रकबा 0.1413, आराजी खसरा नम्बर 501/1 रकबा 0.1212 कुल किता 2 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
लक्ष्मीनारायण पि0 भूरा जाति अहीर सा. देह रहिन सी0बी0आई शाखा बिलान्दरपुर के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 0.0600 आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 0.1549, आराजी खसरा नम्बर 504 रकबा 0.0476 कुल किता 3 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
बीरबल पि0 गणपत हिस्सा 1/3, लीलाराम पि0 गणपत हिस्सा 1/3, फूली पत्नि गणपत हिस्सा 1/3, अहीर सा.देह खातेदार रहिन सी0बी0आई शाखा बिलान्दरपुर के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 0.1425 आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.1200 कुल किता 2 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
रामसरण पि0 सूरजमल हिस्सा 1/3, सुभाष पि0 सूरजमल हिस्सा 1/3, मांगीदेवी पत्नी सूरजमल हिस्सा 1/3 , अहीर सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 505/1 रकबा 0.0875 आराजी खसरा नम्बर 506/1 रकबा 0.1000, आराजी खसरा नम्बर 504/2 रकबा 0.0411, 501/2 रकबा 0.0339 कुल किता 4 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं न्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर
शाहपुरा (जि... ...पुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

ासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
द संख्या :– 20 / 2019

शीर्षक

1. बीरबल पुत्र गणपत
2. लीलाराम पुत्र गणपत
3. श्रीमती फूली पत्नी गणपत

समस्त व्यस्क जाति अहिर निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

दूलीचन्द पुत्र भैरू
मांगी देवी पत्नी सूरज मल
रामसरण पुत्र सूरजमल
सुभाष पुत्र सूरजमल
लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरा
समस्त व्यस्क जाति अहीर निवासी ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/9/22

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.23 है, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.23 है0 व खसरा नम्बर 506 रकबा 0. 22 है0 कुल खसरा नम्बर 5 कुल रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम बिलान्दरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ूलीचन्द पि0 भैरू जाति अहीर सा.देह के बटवारे मे आराजी खसरा नम्बर 504/1 रकबा 0.1413, ाराजी खसरा नम्बर 501/1 रकबा 0.1212 कुल किता 2 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
क्ष्मीनारायण पि0 भूरा जाति अहीर सा. देह रहिन सी0बी0आई शाखा बिलान्दरपुर के बटवारे में आराजी ्सरा नम्बर 502 रकबा 0.0600 आराजी खसरा नम्बर 501 रकबा 0.1549, आराजी खसरा नम्बर 504 ्बा 0.0476 कुल किता 3 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।
रबल पि0 गणपत हिस्सा 1/3, लीलाराम पि0 गणपत हिस्सा 1/3, फूली पत्नि गणपत हिस्सा 1/3 अहीर सा.देह खातेदार रहिन सी0बी0आई शाखा बिलान्दरपुर के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 505 ्बा 0.1425 आराजी खसरा नम्बर 506 रकबा 0.1200 कुल किता 2 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में गी।
ासरण पि0 सूरजमल हिस्सा 1/3, सुभाष पि0 सूरजमल हिस्सा 1/3, मांगीदेवी पत्नी सूरजमल स्सा 1/3 , अहीर सा.देह खातेदार के बटवारे में आराजी खसरा नम्बर 505/1 रकबा 0.0875 राजी खसरा नम्बर 506/1 रकबा 0.1000, आराजी खसरा नम्बर 504/2 रकबा 0.0411, 501/2 ्बा 0.0339 कुल किता 4 रकबा 0.2625 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। ार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण ादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी जाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंम्बर से कम हो।

िय आज दिनांक 30/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
क्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
र्जी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
.... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
क्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
मिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
देशिका की तामिल			
		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.